रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122022-240729 CG-DL-E-02122022-240729

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5354] No. 5354] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5586(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 3996 (अ), तारीख 23 अगस्त 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में NH154 के कि.मी. 190 से कि.मी. 208 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08 सितंबर, 2022" को "द टाइम्स ऑफ इण्डिया "और" हिमाचल दस्तक" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

7984 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची कि.मी. 190 से कि.मी. 208 के लिए अर्जन की जाने वाली संरव

हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में NH154 के कि.मी. 190 से कि.मी. 208 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य व	राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश जिले का नाम: मंडी								
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम				
1	2	3	4	5	6				
	तालुक का नाम: मंडी								
	गांव का नाम: बिझन् (368)								
1	1091/8/3	सरकारी	गैर कृषि	2.0667	हिमाचल प्रदेश सरकार (1091/8/3)				
	गांव का नाम: डवारडू (600)								
2	441/333/2	निजी	कृषि	0.002	श्रीमति नारदू पुत्री थेपड़ा पुत्र पीरु स्थानिय वासी (441/333/2)				
	गांव का नाम: मैगल (626)								
3	834/304	निजी	कृषि	0.0237	जीवन राम पुत्र डुमणू पुत्र मगंतू स्थानिय वासी (834/304/1)				
	गांव का नाम: पाखरी (599)								
4	122/1	निजी	गैर कृषि	0.0012	कुल भाग (540) नाग चंद, किशोरी लाल पुत्र व श्रीमति विद्या देवी, द्रोमती, श्रीमति कमला देवी पुत्रियाँ व श्रीमती थिलू विधवा किशन पुत्र परमा भाग बराबर (90) भाग वीणा,तुलसी राम पुत्र परमा पुत्र फागणू भाग बराबर (300) भाग चमन लाल पुत्र व श्रीमती तारा देवी, श्रीमति लता देवी पुत्रियाँ व श्रीमती बुधि देवी विधवा गंगा राम पुत्र परमा				

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

					भाग बराबर (150) भाग स्थानीय वासी (122/1)
			कुल	2.0936	

फा. सं. NHAI/PIU-PALM/HP/11016/2/LA/2021/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

**S.O.** 5586(E).— In—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3996 (E) dated 23 August 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH154 on the stretch of land from Km. 190 to Km. 208 (Competent Authority of land Acquisition Mandi) in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times Of India" and "Himachal Dastak" both dated 08 September 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH154 in the stretch of land from K.m. 190.00 to K.m. 208.00 (Competent Authority of land Acquisition Mandi) in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH.

State	State: HIMACHAL PRADESH District: MANDI								
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Mandi								
	Village: Bijan (368)								
1	1091/8/3	Government	Non agriculture	2.0667	Government of Himachal Pradesh 1091/8/3				
	Village: Dwardu (600)								
2	441/333/2	Private	Agriculture	0.002	Mrs. Nardu D/O Thepada S/O Piru Local Residents 441/333/2				
	Village: Magal (626)								
3	834/304	Private	Agriculture	0.0237	Jiwan Ram s/o Dumnu s/o Mangatu local residents 834/304/1				
	Village: Pakhari (599)								
4	122/1	Private	Non agriculture	0.0012	Total Share (540) Nag Chand, Kishori Lal sons and Smt. Vidya Devi, Dromati, Kamla Devi daughters and smt. Thilu widow of Kishan s/o Parma equal share (90) share Veena, Tulsi Ram sons of Prama s/o Faganu equal share (300) share, Chaman Lal son and Smt. Tara Devi, Smt. Lata Devi daughters and smt. Budhi Devi Widow of Ganga Ram s/o Parma equal share (150) share local residents 122/1				
			TOTAL	2.0936					

[F. No. NHAI/PIU-PALM/HP/11016/2/LA/2021/3D]

RAJESH GUPTA, Director